


F.No. 12/01/2019-Proj/ 3333

24/04/2025



भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
नौएडा दादरी रोड, फेज-II, नौएडा - 201305
टेलीफोन: 0120-2567268/69/70



ईमेल: dc@nsez.gov.in, वेबसाइट: www.nsez.gov.in

दिनांक:...../04/2025

सेवा मे,

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नौएडा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
3. प्रधान आयकर आयुक्त, आयकर भवन, प्लॉट सं.- ए-2डी, सेक्टर 24, नौएडा।
4. आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तिलपता, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201306.
5. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110001
6. उप सचिव (आई एफ-1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
7. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नौएडा।

विषय: दिनांक 28/03/2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय का सन्दर्भ लेने और श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में दिनांक 28/03/2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संलग्नक: उपरोक्त

भवदीय,



(किरण मोहन मोहाडीकर)

उप विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्याधिकारी - विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक - संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ
3. विनिर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
4. सचिव, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
5. कार्यपालक अभियंता, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, इ.यु.डी.डी.-II, सेक्टर - 18, नौएडा।
6. उप आयुक्त, व्यापार कर, खण्ड-14, सेक्टर -18, नौएडा।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इ-12/1, सेक्टर -1, नौएडा।
8. कंप्यूटर सेक्शन, नौ.वि.आ.क्षे. - बैठक के कार्यवृत्त को एनएसईजेड वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

: सूचनार्थ


उप विकास आयुक्त

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 28/03/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 28/03/2025 को सुबह 10:30 हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामिती)
2. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
3. सुश्री अंजलि मीना, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग नोएडा।
4. श्रीमती हेमलता हेडाऊ, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय, कार्यालय अतिरिक्त डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
5. श्री विनय कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा के प्रतिनिधि।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) किरण मोहन मोहदिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र और (v) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल, भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. **कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:**

(1) दिनांक 11/03/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 11/03/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही कोई आपत्ति थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 11/03/2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

सुरेन्द्र मलिक

(2) क्यू1 टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - नई इकाई की स्थापना।

2.1. मेसर्स क्यू1 टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री राजेश खाती अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

2.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स क्यू1 टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत एनएसईजेड में अधिकृत संचालन (सेवा गतिविधि) अर्थात "कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेवाएं (सीपीसी-8314); मानव संसाधन सेवाएं (सीपीसी-8512)" के लिए एक इकाई स्थापित की जाएगी। यह अनुमोदन फाइल/कार्यसूची नोट में देखे गए दस्तावेजों/सूचनाओं को प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

(3) स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना।

3.1. इकाई के वाणिज्यिक सहायक महाप्रबंधक श्री नवीन केंथ अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया।

3.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन अर्थात 'फिंगरस्कैन (84716050) का विनिर्माण' को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन प्रस्तावित उत्पादों की वार्षिक उत्पादन क्षमता और संशोधित विदेशी मुद्रा बैलेंस शीट प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

(4) कैडेंस डिजाइन सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड - कंपनी के निदेशकों और शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन।

4.1. इकाई के प्रबंधक श्री प्रवीण सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

4.2. यह सूचित किया गया कि सूचना पत्र दिनांक 05.03.25 पर हस्ताक्षर नहीं थे और नए निदेशक का संक्षिप्त प्रोफाइल/बायोडेटा इकाई द्वारा नहीं दिया गया है।

4.3. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, 18/10/2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार कंपनी के निदेशक और शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव पर ध्यान दिया। समिति ने इकाई को नए निदेशक के बायो-डेटा के साथ विधिवत हस्ताक्षरित सूचना पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने संपदा प्रभाग, एनएसईजेड को नोएडा एसईजेड प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव के संबंध में हस्तांतरण शुल्क लगाने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

सुरेंद्र मलिक

(5) अनंत जीएसके इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करना और प्रदर्शन की निगरानी करना।

5.1. इकाई की अधिकृत प्रतिनिधि श्रीमती प्रीति शर्मा आभासी रूप से बैठक में शामिल हुईं और प्रस्ताव को समझाया। वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) / एनएसडीएल डेटा में दर्शाई गई घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री के बारे में विशिष्ट प्रश्न पर, उन्होंने अनुमोदन समिति को स्पष्ट किया कि वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान क्रमशः वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) और एनएसडीएल डेटा में दर्शाई गई घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री, खरीदारों द्वारा अस्वीकृत माल से संबंधित है, जिसे घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) आपूर्तिकर्ताओं को वापस कर दिया गया था।

5.2. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि इस कार्यालय के दिनांक 27/03/2025 के पत्र के अनुसार इकाई को व्यापारिक वस्तुओं जैसे घुटने प्रत्यारोपण / प्रतिस्थापन प्रणाली (90213100), और हड्डी रोग (आर्थोपेडिक) उपकरणों (9021) के भौतिक निर्यात के लिए एक बार की अनुमति दी गई है, जो अनुमोदन समिति द्वारा इसके अनुसमर्थन के अधीन है।

5.3 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि रक्त संग्रह सुई (क्रमांक 3) के लिए आईटीसी एचएस कोड 70179090 गलत प्रतीत होता है। इसके अलावा, 'एम्बोलाइजेशन डिवाइस (क्रमांक 11) के लिए आईटीसी एचएस कोड 28444000 और सेंसर (क्रमांक 22) के लिए 85340090 मौजूद नहीं पाए गए।

5.4 अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और पिछले ब्लॉक के फाइल वर्षों यानी 2020-21 से 2022-23 के दौरान सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि पर ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने यह भी ध्यान दिया कि 31/03/2023 तक कोई निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई थी।

5.5. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र (LOA) में व्यापार के लिए प्रस्तावित वस्तुओं को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन कार्यसूची नोट में देखे गए दस्तावेजों/स्पष्टीकरण/सूचना को प्रस्तुत करने के अधीन होगा और विकास आयुक्त, एनएसईजेड की फाइल पर अनुमोदन के साथ इकाई को अनुमोदन पत्र जारी किया जाएगा। अनुमोदन समिति ने दिनांक 27/03/2025 के पत्र के माध्यम से जारी व्यापारिक वस्तुओं के भौतिक निर्यात के लिए एकमुश्त अनुमति की भी पुष्टि की। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने इकाई को 2023-24 के लिए अपने वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) को तुरंत दाखिल करने और भविष्य में वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) जमा करने में इस तरह की देरी से बचने का निर्देश दिया, ऐसा न करने पर इकाई के खिलाफ विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) FT (D&R) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

(6) रॉमसंस इंटरनेशनल - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना।

6.1. श्री मुकेश अग्रवाल, महाप्रबंधक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया।

सुरेंद्र मलिक

6.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र (LOA) में व्यापार के लिए प्रस्तावित वस्तुओं को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अनुमोदन समिति ने इकाई को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 20/11/2024 पर अपनी प्रतिक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया।

(7) पीजो टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - अगले पांच वर्षों के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीकरण के माध्यम से अनुमोदित अधिकृत संचालन और वार्षिक क्षमता में संशोधन का अनुसमर्थन।

7.1. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, दिनांक 19/03/2025 के पत्र के माध्यम से जारी स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीकरण के माध्यम से अनुमोदित अधिकृत संचालन और वार्षिक क्षमता में संशोधन का अनुसमर्थन किया। अनुमोदन समिति ने इकाई को निर्देश दिया कि वह उसे दी गई अधिकृत संचालन के विरुद्ध आईटीएस कोड 854390 की प्रयोज्यता की पुनः जांच/स्पष्टीकरण करे, ताकि सूचना और आगे की आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई हो, के लिए विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा फाइल पर निर्णय लिया जा सके।

(8) जिंदल डाइकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड - एनएसईजेड में नई इकाई स्थापित करना।

8.1. मेसर्स जिंदल डाइकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के सीएफओ श्री मंजीत सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में उनकी एक मौजूदा इकाई है जिसका निर्यात कारोबार लगभग 500 करोड़ रुपये है।

8.2. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि दिनांक 11/02/2025 के पत्र के माध्यम से, विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने वाणिज्य विभाग से अनुरोध किया था कि वह सभी संबंधितों द्वारा आवश्यक अनुपालन के लिए पूरी तरह से मशीनीकृत सोने के आभूषण / चांदी के आभूषण में लगी इकाइयों के संबंध में उचित दिशानिर्देश / एसओपी जारी करने पर विचार करे। यह संकेत दिया गया कि एनएसईजेड में पूरी तरह से मशीनीकृत सोने के आभूषणों के निर्माण से संबंधित स्पष्टीकरण 11.2.2025 को वाणिज्य विभाग (वाणिज्य विभाग) को भेजे गए थे, और इस विषय पर वाणिज्य विभाग से अगले निर्देशों तक रोक कर रखा जाएगा।

8.3. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स जिंदल डाइकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के "हस्तनिर्मित सादे सोने के आभूषणों का निर्माण- एचएस कोड 71131911" के लिए एनएसईजेड में एक इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन आवेदक द्वारा कार्यसूची नोट, यदि कोई हो, के अनुसार दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत करने और हस्तनिर्मित सादे सोने के आभूषण की अलग उत्पादन क्षमता प्रस्तुत करने के अधीन होगा। अनुमोदन समिति ने परियोजना अनुभाग को पूरी तरह से मशीनीकृत सोने के आभूषण/चांदी के आभूषणों में लगी इकाइयों के संबंध में दिशा-निर्देश/ मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को शीघ्र जारी करने के संबंध में वाणिज्य विभाग को एक अनुस्मारक भेजने का निर्देश दिया।

(9) इमेटल इंटरनेशनल एलएलपी - एनएसईजेड में एक नई इकाई स्थापित करना।

सुंदर मलिक

9.1. मेसर्स डूमेटल इंटरनेशनल एलएलपी की नामित भागीदार सुश्री नेहा टोडी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुईं और प्रस्ताव को समझाया। उन्होंने बताया कि उनकी एलएलपी फर्म को वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस के रूप में मान्यता प्राप्त है और फर्म ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 4999.72 लाख रुपये का कारोबार दर्ज किया है।

9.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स डूमेटल इंटरनेशनल एलएलपी के "हस्तनिर्मित सादे सोने के आभूषणों के निर्माण - एचएस कोड 71131911" के लिए एनएसईजेड में एक इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन आवेदक द्वारा कार्यसूची नोट, यदि कोई हो, के अनुसार दस्तावेज / जानकारी प्रस्तुत करने और हस्तनिर्मित सादे सोने के आभूषणों की अलग उत्पादन क्षमता प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

(10) लक्ष्मण ओवरसीज - (क) भंडारण के लिए अतिरिक्त मद / एचएस कोड को शामिल करना; और (ख) एचएस कोड 84244900 और 96131000 के तहत माल के भंडारण के लिए एक बार की अनुमति के लिए अनुरोध।

10.1. अनुमोदन समिति के समक्ष श्री तरुण यादव और श्री राम किशोर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

10.2. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि इकाई ने एचएस कोड 84244900 और 96131000 के तहत माल के भंडारण के लिए एक बार की अनुमति के लिए आवेदन किया है, जो स्वीकृति पत्र (LOA) में शामिल किए जाने वाले अतिरिक्त वस्तुओं की सूची में भी शामिल हैं।

10.3. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावित वस्तुओं/एचएस कोड को भंडारण के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) में शामिल करने के लिए मेसर्स लक्ष्मण ओवरसीज के प्रस्ताव को निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन अनुमोदित किया:-

- i. इकाई को एचएस कोड 64039990 और 64041990 के तहत जूते उत्पादों के संबंध में बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) प्रमाणन सुनिश्चित करना होगा।
- ii. इकाई को एचएस कोड 96131000, 96132000 के संबंध में न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) का अनुपालन करना होगा।
- iii. इकाई को डीजीएफटी की सभी लागू आईटीसी एचएस नीति शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(11) ट्राइडेंट कॉर्प - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त प्राधिकृत संचालन को शामिल करना।

सुरेंद्र मलिक

11.1. इकाई के प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री पंकज गुप्ता अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए तथा प्रस्ताव को समझाया।

11.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की तथा उचित विचार-विमर्श के पश्चात, मेसर्स ट्राइडेंट कॉर्प के प्रस्तावित एचएस कोड (एचएस 0404, 2106, 0802 एवं 48 के अंतर्गत आने वाले उत्पादों को छोड़कर) के अंतर्गत इकाई के अनुमोदित अधिकृत संचालन में अतिरिक्त भंडारण माल को इकाई के अनुमोदित प्राधिकृत संचालन में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जैसा कि कार्यसूची में उल्लेख किया गया है। अनुमोदन समिति ने आगे निर्णय लिया कि आयात या निर्यात के लिए निषिद्ध या प्रतिबंधित किसी भी उत्पाद की अनुमति नहीं दी जाएगी और इकाई को एचएस कोड 8525, 8526, 8528, 8529, 8543 और 9619 के तहत उत्पादों के संबंध में डीजीएफटी की आईटीसी एचएस नीति की प्रासंगिक आयात और निर्यात नीति शर्तों को पूरा करना होगा।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक
(सुरेन्द्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त

अ. बिपिन मेनन
(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त